भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी./05 दिनांकः ~~As per E-sign~~ 01/04/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद-उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/21335/2016).

सन्दर्भः-(i) कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1443/12-1: देहारादून: दिनांक 22-11-2024 (Received online on 24.01.2025).
(ii) इस कार्यालय द्वारा आयोजित आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 17.03.2025 के उपरांत जारी किए गए कार्यव्रत (copy of MoM of REC meeting is on https://forestsclearance.nic.in/rec_report.aspx).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव को आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 27.02.2025 में चर्चा हेतु रखा गया था परंतु User Agency के उपस्थित न होने पर प्रस्ताव को अगली बैठक क लिए defer करने का निर्णय लिया गया था। अतः तदनुसार अगली आर.ई.सी. की बैठक दिनांक 17.03.2025 में प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

"After detailed discussion on various aspects of the proposal, the committee decided to recommend the proposal with standard terms & conditions and only after the submission of compliance of specific additional condition(s):

1. *The State Government shall ensure that there shall be no encroachment in nearby land in near future. An undertaking in this regard shall also be submitted.*
2. *The State Government shall incorporate the plantation of at least 50 % Oak species in CA scheme along. Accordingly, revised CA scheme shall be submitted.*
3. *The State Government shall ensure that the purpose of land use shall not be changed. An undertaking in this regard shall also be submitted.*
4. *The user agency shall submit an undertaking that they along with the villagers shall*

cooperate the Forest Department in protection against Forest Fire."

अतः आपसे अनुरोध है की उक्त बिन्दुओं पर जवाब प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।